कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

G20

पत्र संख्या 7645 3-2 दिनांक, हल्द्वानी, 07/06/2023

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न वानिकी कार्य हेतु प्रभाग अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से पृथक-पृथक मोहर बन्द निविदायें (जी0एस0टी0 सहित) दिनाक 21.06.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक **केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है।** निविदा के साथ बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की एन0एस0सी0/सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के नाम निरूपित(Pledge) हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.06.2023 तक निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। यह निविदा दिनाक 22.06.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे प्रभाग स्तरीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। अपरिहार्य स्थिति में उक्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो, निविदा की शर्तो की मंजूरी के साथ लगाना अनिवार्य है। निविदा की शर्तो का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्रभागीय कार्यालय अथवा सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in पर किया जा सकता है।

टेण्डरदाता निम्नलिखित विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके पर समझकर टेण्डर दें :-

कार्य विवरण-1

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित धनराशि (रू0)	नेक जमानत (रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	7
1	डौली रेंज अन्तर्गत मैलानी कक्ष संख्या 1 भाग 2 क्षेत्रफल 62.00 है0 में क्षेत्र की घेरवाड़ हेतु हाथी सुरक्षा खाई खुदान कार्य। $2500 \times 2.00\,(2+1.50)/2 = 8750.00\ M^3$	2296000.00	68880.00	2000 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0	एक माह

कार्य विवरण-2

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित धनराशि (रू0)	नेक जमानत (रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	7
1	दक्षिणी जौलासाल रेंज अन्तर्गत देवीपुरा क0सं0 3 क्षेत्रफल 38.00 है0 में क्षेत्र की चराई से सुरक्षा हेतु खाई खुदान कार्य। $2710 \times \frac{0.75+1.25}{2} \times 1.00 = 2710.00\ M^3$	711104.00	21333.00	1000 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कार्यादेश जारी होने की तिथि से 10 दिन तक

Scanned with OKEN Scanner

1– निविदादाता द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक लिफाफे के बाहर कार्य का विवरण स्पष्ट शब्दों में अनिवार्य रुप से अंकित करना होगा।

2– निविदा गोल ठेके पर दिया जाय और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता कार्य की अनुमानित धनराशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक पर कार्य करने को तैयार है। सशर्त डाली गई निविदा रद्द समझी जायेगी। निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद निविदा नोटिस में दी गई शर्तों में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म सम्बन्धित निविदा की दरें उस समय सरकार द्वारा समस्त देयकों जैसे कि–जी0एस0टी0 आदि करों सहित ही दी जायेगी।

3– निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाये। दस्ती अथवा अन्य माध्यम से प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। आमंत्रित निविदायें दिनांक 22.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे प्रभागीय निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में उक्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा।

4– निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि, वह राजि स्तर से अनुमति उपरान्त कार्य स्थल का भ्रमण कर कार्य के प्रकार, स्थानीय परिस्थितियों आदि का भली प्रकार अध्ययन कर निविदा की दर सूचित करें। एक बार निविदा की दर सूचित करने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/बटोत्तरी स्वीकार नही की जायेगी।

5– प्रभाग में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र एवं खाई खुदान कार्यो का अनुभव होना चाहिए। इस प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य ठेकेदारों द्वारा निविदा दी जाती है तो वह स्वीकार नहीं की जायेगी।

6– सक्षम अधिकारी, प्राप्त न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगें तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

7– प्राप्त होने वाले निविदा में सफल निविदा की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। निविदा स्वीकृति के पश्चात, बजट की उपलब्धता के आधार पर ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

8– ठेकेदार को कार्यों हेतु टी0ए0सी0 के द्वारा कार्यों के लिए स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि टी0ए0सी0 अथवा वित्तीय स्वीकृति में कार्य की लागत कम हो जाती है तो तद्नुसार ही भुगतान किया जायेगा।

9– ठेकेदार को कार्य हेतु प्राक्कलन की धनराशि के 3 प्रतिशत धरोहर राशि के रुप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा व कार्यादेश के पश्चात प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके कार्य तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने पर धरोहर राशि एवं जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य के अंतिम भुगतान के एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी।

10– निविदा की दर यदि प्राक्कलन की धनराशि से कम **(BELOW)** प्राप्त होती है तो उस स्थिति में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 770/।।(2)/17–20 (सामान्य)/2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2022 के तहत अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी की धनराशि जमा करनी होगी। खाई खुदान कार्य प्राक्कलन में दिये गये कार्य विवरण के अनुसार करना होगा।

11– प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा से किया गया तो उसका भुगतान करने के लिये वन विभाग बाध्य नहीं होगा। यदि कोई अतिरिक्त कार्य उनकी लिखित आज्ञा से कराया जाता है तो उसका भुगतान निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मात्रा में कमी या वृद्धि प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति से हो सकती है।

12– कार्य को कार्यादेश की तिथि से निविदा की तालिका के अनुसार दी गई अवधि में प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा। कार्य करने हेतु अवधि विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा। अगर प्रभागीय वनाधिकारी सहमत हो तो विशेष परिस्थिति में अवधि विस्तार कर सकते है।

13– कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटी की होनी चाहिए। खाई खुदान कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुसार न किये जाने पर ठेकेदार के भुगतान से उचित कटौती की जायेगी, जिसका आंकलन प्रभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा,जो कि निविदादाता को पूर्णतया मान्य होगा। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी।

14– कार्य का निरीक्षण समय–समय पर प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अथवा रेंज अधिकारी या प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी इस कार्य के लिये नियुक्त होगें, द्वारा किया जायेगा और उनके निर्देशानुसार ठेकेदारों को सम्पूर्ण कार्य प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने होगें।

15– ठेकेदार को समय–समय पर भुगतान (Running Payment) विभागीय एम0बी0 की प्रविष्टि के आधार पर तथा बजट की उपलब्धता एवं प्रभागीय वनाधिकारी के विवेकानुसार किया जायेगा। कार्य का पूर्ण भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद तथा कार्य पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जायेगा।

16– ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य का कोई भी भाग दूसरे ठेकेदार को नहीं दे सकता। ऐसे अवैधानिक ठेके किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

17– ठेकेदार को उसकी फर्म के काली सूची में दर्ज न होने संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

ठेकेदार को भुगतान करते समय सरकारी आदेशों के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क एवं रायल्टी आदि की नियमानुसार कटौती की जायेगी। ठेकेदार को भुगतान कर देने के पश्चात भी यदि कोई राजकीय कर की देयता ज्ञात होती है तो ठेकेदार इस कर/देयता को जमा करने के लिये बाध्य होगा।

19– विभाग ठेकेदार को कोई सामग्री देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

20– ठेकेदार/कार्य में संलग्न श्रमिकों का संबंधित कार्यस्थल के अतिरिक्त आरक्षित वन में जाना प्रतिबंधित रहेगा,तथा संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्य के दौरान अग्नि से वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

21– ठेकेदार द्वारा खाई खुदान कार्य के दौरान अवैध रूप से वन सम्पादा का उपयोग/क्षति पहुंचाई जाती है तो विभागीय वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ सामग्री के मूल्य/क्षति की भरपायी ठेकेदार से की जायेगी।

22– 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य के अन्तिम भुगतान के एक वर्ष बाद अवमुक्त की जायेगी। अगर इस एक वर्ष के अन्तराल में किये गये कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ठेकेदार को अपने व्यय पर ठीक करना होगा, जिसके लिए ठेकेदार को विभाग द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा। ऐसा न करने पर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, इसके साथ ही ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जा सकता है।

23– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों की किसी प्रकार से अवहेलना न हो।

24– ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वन सम्पदा का ध्यान रखना होगा तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा वन अधिनियम 1927 तथा अन्य Forest Laws का पालन सुनिश्चित करना होगा। शासन एवं माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करना होगा।

25– अपूर्ण निविदा प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और यह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

26– निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

27– निविदादाता को निविदा में अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

28– निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।

29– निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जो निविदा खोले जाने की तिथि से छः माह पहले का न हो।

30– ठेकेदार का जी0एस0टी0 पंजीकरण तथा आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा।

31– प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर डाक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना कार्य आदेश के रूप में प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र के निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा निविदा प्रतिभूति को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अपहृत कर लिया जायेगा। उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एग्रीमेन्ट निष्पादन की निर्धारित तिथि से 10 दिन की छूट दी जा सकती है परन्तु इस हेतु रू0 500 (रू0 पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

32– कार्य से जुड़े ठेकेदार/श्रमिक रात्रि विश्राम आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं करेंगे।

33– कार्य का प्राक्कलन सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय, हल्द्वानी में कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

34– खाई खुदान कार्य ए0एन0आर0 क्षेत्र में पुनरोत्पादित सस्य की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही करना होगा। नये सस्य के क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार से नियमानुसार क्षतिपूर्ति वसूली की जायेगी।

35– खाई खुदान से प्राप्त मिट्टी को क्षेत्र के सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित स्थान पर रखना होगा।

36– निविदा को बगैर कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी के पास सुरक्षित होगा।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक :– / ,दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

2– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

3– उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईटwww.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4– समस्त उप प्रभागीय वनाधिकारी तथा वन क्षेत्राधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

5– प्रभागीय नोटिस बोर्ड।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

Scanned with OKEN Scanner